न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 286/14 (वाद)

अनवान

1. श्रीमती सुधा नागौरी पत्नी नीरज नागौरी निवासी 14 ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास, उदयपुर।
2. श्रीमती ममला पत्नी मनोज जैन निवासी 406 ओर्बिट सेकण्ड न्यू भुपालपुरा, महावीर नगर, उदयपुर।

................वादीगण

बनाम

1. श्री भूरा पिता पेमा डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता देवा डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी रामलाल डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जयेश कुमार जैन, वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 29.09.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धरा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 4014/598 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा जिसमें वादीगण का 1111/2512 वॉ हक एवं हिस्सा निहित हैं। 1111/2512 वॉ हक एवं हिस्सा वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के श्रीमती बेबीबानु पत्नी श्री हसन खां से क्रय किया गया, तब से वादीगण का उक्त 1111/2512 वें हक एवं हिस्से की भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु पूर्व में सम्पूर्ण आराजी का मौके पर किसी भी प्रकार का विधिक विभाजन नहीं होने एवं इस आशय की राजस्व रेकार्ड में तरमीम नहीं होने से सम्पूर्ण रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का रिकार्ड के अनुसार हर ईंच भूमि पर हक, हिस्सा एवं आधिपत्य हैं।
2. अतः निवेदन है कि आराजी सं. 4014/598 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जावें। उक्त भूमि में से 1111/2512 वें हक एवं हिस्से की भूमि के विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावें।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्व पूर्व के एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं।
4. प्रकरण में दिनांक 28.03.2016 को न्यायालय हाजा से प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। तहसीलदार मावली द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना पत्र क्रमांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.12 16:36:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व/2020/941 दिनांक 06.07.2020 से प्रस्तुत की गई। पीडी पालना पर अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/— अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे। परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :—

क्र.स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भूरा पिता पेमा 370/841 रामलाल पिता देवा 471/1682 प्यारीबाई पत्नी रामलाल 471/1682 डागी सा. फतहपुरा खातेदार	4014/598/1	2.13	बीड	1.32
	योग	किता 1	2.13	—	1.32
2	सुधा पत्नी नीरज नागौरी निवासी 14 ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास उदयपुर ममता पत्नी मनोज जैन निवासी 406 आबिट सेंकड न्यू भूपालपुरा उदयपुर हि.ब. खातेदार	4014/598 मी.	5.04	बीड	2.60
	योग	किता 1	5.04	—	2.60

6. इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.12 16:36:14 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती सुधा नागौरी पत्नी नीरज नागौरी निवासी 14 ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास, उदयपुर।
2. श्रीमती ममला पत्नी मनोज जैन निवासी 406 ओर्बिट सेकण्ड न्यू भुपालपुरा, महावीर नगर, उदयपुर।

................वादीगण

बनाम

1. श्री भूरा पिता पेमा डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता देवा डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी रामलाल डांगी निवासी फतेहपुरा तह. मावली।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 286/14 (वाद)

अधिवक्ता वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.09.2020 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भूरा पिता पेमा 370/841 रामलाल पिता देवा 471/1682 प्यारीबाई पत्नी रामलाल 471/1682 डागी सा. फतहपुरा खातेदार	4014/598/1	2.13	बीड	1.32
	योग	किता 1	2.13	–	1.32
2	सुधा पत्नी नीरज नागौरी निवासी 14 ग्लास फैक्ट्री सुन्दरवास उदयपुर ममता पत्नी मनोज जैन निवासी 406 आबिट सेंकड न्यू भूपालपुरा उदयपुर हि.ब. खातेदार	4014/598 मी.	5.04	बीड	2.60
	योग	किता 1	5.04	–	2.60

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 29.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.12 16:36:14 IST
Reason: SelfAttested